प्ररूप 21ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 17-बाड़मेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री कैलाश चौधरी (नाम) वार्ड सं. 32, जाट कॉलोनी, समदड़ी रोड, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बाड़मेर

तारीख : 23 मई, 2019

(हिमांशु गुप्ता) रिटर्निंग आफिसर 17—बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)

> बाडमेर (हिमांशु गुप्ता) रिटर्निंग ऑफिसर 17-बाडमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेंट) बाडमेर

FORM 21C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 17-BARMER Parliamentary constituency in Rajasthan. (State)

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

KAILASH CHOUDHARY (Name) Ward No. 32, Jat Colony, Samdari Road, Balotra, Tehsil Pachpadra, District Barmer (Address) sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: BARMER Date: 23rd May, 2019

(Himanshu Gupta)
Returning Officer
17-Barmer Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate)
Barmer

(Himanshu Gupta)
Returning Officer
17-Barmer Parliamentary Constituency
(District Collector and District Magistrate)
Barmer